



प्रपत्र (ग)
(नियम 3 (3) देखिये)
(मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958)
स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र



भाग - क

कार्यालय: District Labour Office, GWALIOR

(1) पंजीयन क्रमांक: **GWAL221206SE001767**

(2) स्थापना का नाम: **M/S- TECHNO ALLIANCE INFRA CONTRACTS LLP**

(3) स्थापना का (डाक का) पूरा पता: **1st FLOOR, MANDHAN BHAWAN, NEAR WATER TANK, LALA KA BAZAR, LASHKAR, GWALIOR Dist.-GWALIOR**

(4) स्थापना का कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप: **Commercial Establishment**

(5) मालिक, प्रबंधक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	JATIN MANDHAN	GOPI MANDHAN	MANDHAN BHAWAN, NEAR WATER TANK, LALA KA BAZAR, LASHKAR, GWALIOR
प्रबंधक	JATIN MANDHAN	GOPI MANDHAN	MANDHAN BHAWAN, NEAR WATER TANK, LALA KA BAZAR, LASHKAR, GWALIOR
अभिकर्ता	NA	-	NA

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) यदि कोई हो तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता:

स.क्र.	नाम	पद	पता
1	JATIN MANDHAN	PARTNER	MANDHAN BHAWAN, NEAR WATER TANK, LALA KA BAZAR, LASHKAR, GWALIOR
2	VISHWAS MANDHAN	PARTNER	MANDHAN BHAWAN, NEAR WATER TANK, LALA KA BAZAR, LASHKAR, GWALIOR
3	GOPI MANDHAN	PARTNER	MANDHAN BHAWAN, NEAR WATER TANK, LALA KA BAZAR, LASHKAR, GWALIOR

(7) सेवायुक्तों की कुल संख्या	पुरुष	महिला	योग
पंजीयन शुल्क Rs. 200.00/-	3	0	3

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र. सन 1958) के अंतर्गत आज दिनांक 07/Dec/2022 को पंजीयन की गई है।

निरीक्षक
दुकान की स्थापना
अधिनियम 1958 के अंतर्गत

History of Registration, Renewal & Amendments						
Sr.	Date of Issue	Certificate Type	Fees paid	Validity	Date of Commencement of business	Date of First Registration
1	07/12/2022	Fresh	200.00	Life Time	01/12/2022	07/12/2022

वैधानिक / महत्वपूर्ण सूचना

1. यह प्रमाण-पत्र दुकान / स्थापना के निरीक्षण / भौतिक सत्यापन के बगैर केवल आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। अतः असत्य जानकारी पाये जाने पर आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. यह प्रमाण पत्र केवल स्थापना का पंजीयन मात्र है।
3. यदि आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी या अपलोड किये गए दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा ऑन-लाईन प्रदत्त पंजीयन रद्द करने तथा आवेदक के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
4. यह पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक लोन / स्वामित्व एवं संपत्ति विवाद / न्यायालय में जमानत / GST पंजीयन प्राप्त करने या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर श्रम विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
5. यह पंजीयन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी।
6. यह दस्तावेज डिजिटल हस्ताक्षरित है, अतः मानव हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।